प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.06.2025

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 03 शातिर गौकश गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अदद तमंचा देशी 315 बोर जिसकी नाल में खोखा कारतूस फंसा हुआ, दो जिन्दा कारतूस ,01 काले रंग का पिट्ठू बैग जिसके अंदर मीट काटने के उपकरण छुरी, गडासा, रस्सी के टुकडे, बेहोशी का इंजैक्शन, सीरिंज आदि व घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की काले रंग की X-Treme मोटर साइकिल बरामद

आज दिनांक 06.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी चौकी पुस्ता पर त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुये चेकिंग की जा रही थी। बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल पर सवार 03 बदमाश पिछले बदमाश की पीठ पर पिट्ठू बैग टंगा हुआ है, संदिग्ध होने पर पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया , नही रूके और तेजी से कट मारकर बागपत रोड की तरफ भागने लगे। थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा आरटी सैट से भाग रहे बदमाशो को सम्बन्ध में सूचना दी गयी। इस सूचना पर गेट नम्बर दो पर चेकिंग कर रही पुलिस द्वारा मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया नही रूके और पुलिस के पीछा करने पर अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में 03 बदमाशों में से 02 बदमाश शहजाद उर्फ इंतजार उर्फ भूषण व याहिया खान उर्फ फतेह के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गये गिरफ्तार किया गया तथा तीसरा बदमाश जुल्फिकार को मौके से थोडी दूरी पर गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश 1. शहजाद उर्फ इंतजार उर्फ भूषण पुत्र शेरदिन निवासी ग्राम ढकौली पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत 2.याहिया खान उर्फ फतेह पुत्र इबादुर रहमान निवासी रूपनगर निकट पुरानी मस्जिद पानी की टंकी थाना लोनी गाजियाबाद को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है तथा तीसरे बदमाश जुल्फिकार पुत्र शहीद अहमद निवासी प्रशान्त विहार थाना लोनी गाजियाबाद को मौके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा कुछ दिन पूर्व आवास विकास मण्डौला क्षेत्र के जंगल में गौकशी की घटना कारित करके अवशेषो को सीवर के गढ्ढे में डालकर फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. शहजाद उर्फ इंतजार उर्फ भूषण पुत्र शेरदिन निवासी ग्राम ढकौली पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत
2. याहिया खान उर्फ फतेह पुत्र इबादुर रहमान निवासी रूपनगर निकट पुरानी मस्जिद पानी की टंकी थाना लोनी गाजियाबाद
3. जुल्फिकार पुत्र शहीद अहमद निवासी प्रशान्त विहार थाना लोनी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

(1) 02 अदद तमंचा देशी 315 बोर जिसकी नाल में खोखा कारतूस फंसा हुआ दो जिन्दा कारतूस ,
(2) 01 काले रंग का पिट्ठू बैग जिसके अंदर मीट काटने के उपकरण छुरी, गडासा, रस्सी के टुकडे, बेहोशी का इंजैक्शन, सीरिंज आदि
(3) घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की काले रंग की X-Treme मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

घायल/गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शहजाद उर्फ इंतजार उर्फ भूषण के विरूद्ध जनपद मेरठ में गौकशी/आर्म्स एक्ट/हत्या का प्रयास आदि के 12 मुकदमें व थाना ट्रोनिका सिटी पर गौकशी का 01 अभियोग दर्ज है अभियुक्त याहिया खान उर्फ फतेह व जुल्फिकार के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर गौकशी का 01 अभियोग दर्ज है, अन्य अभियोग के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

ट्रांस हिंडन जोन पुलिस द्वारा "Alert Wheels" अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले लोगों व वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही।

दिनांक 05.06.2025 को शाम 06:00 बजे से लेकर 09:00 बजे तक ट्रांस हिंडन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में **"Alert Wheels" अभियान** के तहत बिना हेलमेट, तीन सवारी, गलत दिशा से आने वाले लोगों आदि के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत पुलिस टीम द्वारा 46 स्थानों पर चेकिंग कर 1047 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 347 वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये। इस अभियान के अंतर्गत ट्रांस हिंडन जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

थानावार कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है –

क्र0सं0	नाम थाना	चैक किये गये व्यक्तियों की संख्या	चालान किये गये वाहनों की संख्या
1	**इन्दिरापुरम**	180	37
2	**खोडा**	120	15
3	**कौशाम्बी**	190	88
4	**साहिबाबाद**	**150**	93
5	**लिंक रोड**	82	24
6	**शालीमार गार्डन**	**160**	40
7	**टीला मोड**	165	50
कुल योग		**1047**	**347**

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.06.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त कादिर पुत्र इकबाल निवासी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिए प्रताडित करना तथा दहेज की मांग पूरी ना होने पर जान से मारने की नीयत से उसे जहर देकर मारने का प्रयास करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा 85/115(2)/3(5)/109(1)/123 बीएनएस व ¾ दहेज अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.06.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कादिर पुत्र इकबाल निवासी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताडित करता था तथा दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण मैनें अपनी पत्नी को जान से मारने की नीयत से जहर दे दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कादिर पुत्र इकबाल निवासी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष **आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.06.2025 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 09 वर्ष के साथ अभियुक्त समीर पुत्र अकबर निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा गलत काम करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल धारा 64 बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

ततपश्चात आज दिनांक 06.06.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मैनअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त समीर पुत्र अकबर निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने पीडिता को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ मौका पाकर गलत काम कर दिया था तथा घर से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

समीर पुत्र अकबर निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल डण्डा बरामद।

दिनांक 05.06.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री दीपेन्द्र कुमार लोधी (पटेल) पुत्र श्री घसोटा लोधी निवासी ग्राम+पोस्ट पासी थाना गुनौर जिला पन्ना ने एक लिखित तहरीर दी और बताया कि अभियुक्त रणजीत पुत्र नामालूम निवासी झुग्गी झोपड़ी वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वादी के भाई गेंदालाल उम्र करीब 36 वर्ष की सिर में डण्डा मारकर हत्या कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वादी के भाई की हत्या करने वाला अभियुक्त रणजीत पुत्र लोटनदास निवासी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 11 वसुन्धरा गाजियाबाद मूलपता ग्राम सोनूपुर जिला समस्तीपुर बिहार को झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 11 वसुन्धरा से आलाकत्ल डण्डा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रणजीत पुत्र लोटनदास उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त रणजीत पुत्र लोटनदास उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त से मृतक गेंदालाल की दिनांक 03.06.2025 को कहासुनी हो गयी थी। जिसको लेकर अभियुक्त ने गुस्से में आकर मृतक गेंदालाल के सिर में डण्डा मार दिया। जिससे गेंदालाल की मृत्यू हो गई और अभियुक्त डर के कारण मौके से भाग गया तथा डण्डे को झुग्गी झोपड़ियों के पीछे छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक्त रणजीत पुत्र लोटनदास निवासी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 11 वसुन्धरा गाजियाबाद मूलपता ग्राम सोनूपुर जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

आलाकत्ल डण्डा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त रणजीत पुत्र लोटनदास उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.06.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी श्री बबलू निवासी पुराना हेबतपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि उसके पुत्र ध्रुव के साथ ब्रेजा कार में सवार व्यक्तियों द्वारा गाली गलौच करते हुए मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त प्रकरण में गवाहो के बयान व मेडीकल रिपोर्ट आदि के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 109 बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1.जाकिर पुत्र अली हसन 2. अरशद पुत्र यामीन 3. दीपक कुमार यादव पुत्र श्रवण यादव के नाम प्रकाश में आये।

आज दिनाकं 06.06.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. जाकिर पुत्र अली हसन निवासी मौहल्ला नं0-02 साहबगंज थाना बिल्सी जनपद बदायूं हाल पता गली नं0-07 ममूरा थाना फेस-03 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 28 वर्ष 2. अरशद पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जिला बिजनौर उम्र करीब 35 वर्ष 3. दीपक कुमार यादव पुत्र श्रवण कुमार यादव निवासी गली नं0-07 ममूरा थाना फेस-03 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 28 वर्ष को तिगरी गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि एक व्यक्ति ताज हाईवे के पास अपनी गाडी को पीछे कर रहा था उसकी गाडी पीछे पेड से टकरा गयी थी जैसे ही उसकी गाडी पेड से टकरायी तो हम लोग हंसने लगे। हमें हंसता देख उस व्यक्ति ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जिसको हम लोगों ने गुस्से में आकर काफी पीट दिया था और हम लोग वहां से अपनी गाडी लेकर चले गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. जाकिर पुत्र अली हसन निवासी मौहल्ला नं0-02 साहबगंज थाना बिल्सी जनपद बदायूं हाल पता गली नं0-07 ममूरा थाना फेस-03 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 28 वर्ष।
2. अरशद पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जिला बिजनौर उम्र करीब 35 वर्ष।
3. दीपक कुमार यादव पुत्र श्रवण कुमार यादव निवासी गली नं0-07 ममूरा थाना फेस-03 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन व अन्य 03 मोबाइल फोन बरामद।

आज दिनांक 06.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर के बाहर चार्जिंग पर लगे मोबाइल फोन को चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त अर्जुन पुत्र मनोज निवासी पाल होटल वाली गली पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन व 03 अन्य मोबाइल फोन बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मुझसे जो 04 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनमें से एक फोन मैंने स्माईल मस्जिद के पास पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से चोरी किया था तथा अन्य 03 मोबाइल फोन मैंने कुछ दिनों पहले अलग-अलग जगह से चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन पुत्र मनोज निवासी पाल होटल वाली गली पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी का 01 मोबाइल फोन व अन्य 03 मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा बरामद।

आज दिनांक 06.06.2025 को थाना लिंकरोड़ पर वादी श्री पंचम पुत्र वनवारी लाल निवासी सिहानी गाँव सेन्ट्रल बैंक के पास थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 05.06.2025 की सुबह मेरा ई-रिक्शा साहिबाबाद मण्डी से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड़ पुलिस द्वारा धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 06.06.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्त 1. श्रीकान्त उर्फ सागर पुत्र अरविन्द निवासी एसबी 34 साहिबाबाद मण्डी थाना लिंकरोड कमि0 गाजियाबाद मूलपता ग्राम भीट थाना कोतवाली बेगुसराय बिहार उम्र 30 वर्ष व 2. समीर हुड्डा उर्फ गोलची पुत्र बुद्धवा निवासी साहिबाबाद मण्डी थाना लिंकरोड कमि0 गाजियाबाद मूलपता गारत बस्ती जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 24 वर्ष को साहिबाबाद रेपिड मैट्रो के पास से चोरी के 01 ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछाताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्तों ने यह ई-रिक्शा कल दिनांक 05.06.2025 की सुबह साहिबाबाद मण्डी से चोरी किया था। दोनों अभियुक्तों ने बरामद ई-रिक्शा की बैटरी फेरी करने वाले को बेच दी तथा प्राप्त पैसे खर्च कर दिए। दोनों अभियुक्त आज इस ई-रिक्शा को बेचने के लिये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. श्रीकान्त उर्फ सागर पुत्र अरविन्द निवासी एसबी 34 साहिबाबाद मण्डी थाना लिंकरोड कमि0 गाजियाबाद मूलपता ग्राम भीट थाना कोतवाली बेगुसराय बिहार उम्र 30 वर्ष।
2. समीर हुड्डा उर्फ गोलची पुत्र बुद्धवा निवासी साहिबाबाद मण्डी थाना लिंकरोड कमि0 गाजियाबाद मूलपता गारत बस्ती जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी का 01 ई-रिक्शा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त श्रीकान्त उर्फ सागर पुत्र अरविन्द उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त समीर हुड्डा उर्फ गोलची पुत्र बुद्धवा उपोरक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी, चोरी का माल बरामद होने, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि से सम्बन्धित 13 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 14 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

आगामी त्योहार ईद-उल-अजहा के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी किये गये प्रबंधन

इस वर्ष ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर्व दिनांक 07.06.2025 को मनाया जाना प्रस्तावित है। इस पर्व पर बड़ी संख्या में सुन्नी एवं शिया समुदाय द्वारा ईदगाहों/मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की जायेगी उसके उपरान्त कुर्बानिया की जायेगी। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु गाजियाबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इन्तजाम सुनिश्चित किये गये हैं। इस वर्ष लगभग 47 ईदगाह व 742 मस्जिदो में बकरीद की नमाज अदा की जायेगी, जिसमें मुख्य रुप से थाना वेवसिटी के डासना ईदगाह, थाना अंकुर विहार के शाही ईदगाह, थाना मुरादनगर के ईदगाह, थाना टीलामोड़ के पसौंडा ईदगाह, थाना कोतवाली नगर के ईस्लाम नगर ईदगाह, विजयनगगर के सिद्धार्थविहार ईदगाह, थाना ट्रोनिका सिटी के पावी सादिकपुर के ईदगाह, थाना मसूरी के मसूरी ईदगाह, निडौरा ईदगाह में सर्वाधिक संख्या में लोग नमाज अदा करने आते है।

सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कमिश्नरेट गाजियाबाद में दिन व रात्रि में शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है तथा नगर जोन, ग्रामीण जोन एवं ट्रांस हिंडन जोन में कुल 120 क्यूआरटी तथा डायल 112 के वाहनों द्वारा निरन्तर चेंकिग एवं पेट्रोलिंग की जा रही है । मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस टीम द्वारा ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है।

इस दौरान अभिसूचना तन्त्र सक्रिय है तथा सोशल मीडिया माध्यम जैसे फेसबुक, X (ट्वीटर), व्हाट्स एप, इन्स्टाग्राम पर तकनीकी टीमों द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है। उपद्रवी व शरारती तत्वों द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रतिकूल पोस्ट/प्रतिक्रिया पर तत्काल विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बकरीद त्योहार के दृष्टिगत थाना स्तर एवं वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर धर्मगुरुओं, शान्ति सुरक्षा समितिओं तथा सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ गोष्ठियां कर ली गई है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में रूट मार्च किया जा रहा है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस जनपद में आयोजित होने वाले समस्त पर्व/त्योहार/आयोजनों को पूर्ण गरिमा व अपेक्षित अनुशासन के साथ सम्पन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है।